राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 54/2022
पंजीयन दिनांक 11.04.2022

(1). हीरालाल पिता नारायण जाति गूर्जर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

बनाम **–अपीलांट**

(1). चम्पालाल पिता देवा जाति गूर्जर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 122/2018 निर्णय एवं डिकी दिनांक 04.02.2022

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट
(2). चन्दनमल जणवा– रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय **दिनांक 22.08.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मण्डफिया तहसील भदेसर की खाता संख्या 123 मे दर्ज आराजी संख्या 195 रकबा 0.60 हैक्टेयर आराजी संख्या 196 रकबा 0.40 हैक्टेयर आराजी सख्या 197 रकबा 0.32 हैक्टेयर आराजी संख्या 198 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजीयात के पडौस मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि आराजीयात स्थित है जिनके मध्य रकबे की कमी बेशी मेर पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लेकर अपीलांट प्रतिवादी सख्या 1 आये दिन विवाद करता है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की उक्त कृषि आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाई उसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की उक्त आराजीयात पर अपीलांट प्रतिवादी का अनाधिकृत रूप से कब्जा पाया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 से उनकी कृषि आराजीयात से कब्जा हटा लेने का निवेदन किया तो अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने इंकारी करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के साथ लड़ाई झगड़ा किया जिससे वाद कारण पैदा होकर वादपत्र वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कब्जेयाबी पेश किया।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सम्मन नोटिस की पालना मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा मय काउंटर क्लैम प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से काउंटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम की । व पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई जिस पर जिरह होने के पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी मे अपीलांट प्रतिवादी स्वयं व स्वतंत्र गवाह कैलाश व कालू का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से जिरह होना शेष था। इसी दरम्यान दिनांक 01.09.2010 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया गया जिस पर बहस सुनी जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाकर उक्त पत्रावली को पूर्व आदेशानुसार नियत किया गया व पत्रावली मे दिनांक 04.02.2022 को बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2022 जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित की गई जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया व काउंटर क्लेम मे यह निवेदन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है। भज्जा व भागीरथ सगे भाई थे। भागीरथ लाऔलाद फोत हो गया। भागीरथ की सेवा चाकरी भज्जा के पुत्र सुखराम व सवा के द्वारा की गई। भागीरथ के हक व हिस्से मे उक्त आराजीयात आने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अपने बाप-दादाओं के जमाने से उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। सवा एक चालाक व्यक्ति था जो भागीरथ के हक व हिस्से मे सुखराम का 1/2 व सवा का 1/2 हक व हिस्सा कानूनी रूप से निहित है किन्तु सवा के द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर भागीरथ के हिस्से की कृषि आराजीयात अपने बड़े पुत्र उदा के नाम दर्ज करा दी जो गलत है। तथा उदा के लाऔलाद फोत होने से उक्त कृषि आराजीयात को देवा ने नाजायज तरीके से अपने नाम दर्ज करवाई है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलांट प्रतिवादी सख्या 1 अपने बाप-दादाओं के समय से काबिज है जिससे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 काउंटर क्लेम के अनुसार उक्त कृषि आराजीयात अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से काउंटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे दिनांक 07.02.2019 को तनकीयात कायम की । उक्त तनकीयात मे तनकी संख्या 3 से 5 काउंटर क्लेम पर आधारित होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के जिम्मे थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी स्वयं का शपथ-पत्र व स्वतंत्र गवाह मे सुरेश व किशनदास का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जिरह की गई व साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का शपथ-पत्र व स्वतंत्र गवाह मे कालू पिता नारायण गायरी व कैलाश पिता चतुर्भुज गूर्जर का शपथ-पत्र प्रस्तुत हुए जिसकी नकल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को दिलाई गई व जिरह हेतु पत्रावली आगामी तारीख पेशी मे नियत हुई व उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की जिरह मे नियत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कि दिनांक 01.09.2021 को अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया व प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि इन्ही आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य घोषणा का वादपत्र प्रकरण संख्या 159/2018 तारीख पेशी 17.09.2021 नियत है। ऐसी स्थिति मे कब्जेयाबी के वादपत्र को घोषणा के वादपत्र के साथ समेकित किया जावे। इस वादपत्र मे अलग से सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी पर सुनवाई की जाकर दोनो वादपत्र को अलग-अलग प्रकृति के होना मानते हुए प्रार्थना पत्र धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता निरस्त किया गया व उक्त पत्रावली को पूर्व आदेशानुसार नियत किया गया व उक्त पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी मे नियत थी। प्रतिवादी की साक्ष्य को बंद किये बगैर पत्रावली मे सीधे ही बहस सुनी जाकर बिना तनकीयात का विश्लेषण किये आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना किये बगैर निर्णय व डिक्री पारित कर दी। उक्त पत्रावली मे अपीलांट प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से जवाबदावे के साथ काउंटर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने काउंटर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया है व काउंटर क्लेम के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 से 5 काउंटर क्लेम पर आधारित होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के जिम्मे नियत की गई। फिर भी उक्त काउंटर क्लेम का निस्तारण किये बगैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है व विवादित कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 88/244 हक हिस्से का सहखातेदार है व देवा पिता सवा गूर्जर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 156/244 हिस्से का सह खातेदार है जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार कायम नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान का असंयोजन होते हुए भी निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 के अनुसार देवा पिता सवा के खातेदारी की थी। जो दानपत्र से नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 16.12.2016 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजीयात पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन कब्जा कर लिया जिसकी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्थरगढी करवाई गई । पत्थरगढ़ी पर्चे मौके मे उक्त आराजीयात अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे मे होने से कब्जे का दावा किया जो जमाबंदी व पर्चे मौका पत्थरगढ़ी से प्रमाणित था। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

डेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 सिविल प्रक्रिया संहिता की आड़ मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की डिक्री को अवैधानिक होना बता रहे है। तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र का अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा व काउंटर क्लेम बाबत विवादित कृषि आराजीयात की घोषणा का प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि उक्त कृषि आराजीयात पर भागीरथ के समय से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त कृषि आराजीयात की घोषणा का वादपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है जो प्रकरण संख्या 159/2018 विचाराधीन है जिससे उक्त वादपत्र को प्रकरण संख्या 159/2018 के साथ समेकित किये जाने का आवेदन अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया था जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाकर बिना अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य लिये प्रकरण मे बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम जो कि वादपत्र की श्रेणी मे आता है को अनिर्णित रखते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे मुर्तिब तनकीयात के अनुसार नहीं होने व सहखातेदार देवा पिता सवा जिसका उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे 156/244 हक व हिस्सा जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार दर्ज रेकॉर्ड है जिसे प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार होते हुए भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया है जिससे भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण होना

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाता है। जिससे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 122/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2022 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सह खातेदार देवा पिता सवा जो जमाबंदी मे 156/244 हक व हिस्से का खातेदार है को पक्षकार कायम कर पत्रावली मे विरचित तनकीयात दिनांक 07.02.2019 व पत्रावली मे प्रस्तुत काउंटर क्लेम पर पुनः सुनवाई कर व साक्ष्य ली जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात के संबंध मे विचाराधीन वाद संख्या 159/2018 के साथ समेकित किया जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 21.09.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)